

मूल वाद में डिग्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान


गोविन्द सिंह पुत्र आदराम वनाम 1. आदराम पुत्र हीराम जाति  
 जाति जाट वि० नोकना जाट निवासी नोकना र० भादरा।  
 दावा बाबत :- 88 RTA व  
 मुकदमा नम्बर :- 244/21  
 निर्णय दिनांक :- 16.12.21

प्रतिवादी की ओर से वकील प्रसिन्न गोवाल की व प्रतिवादी सं० — की ओर  
 से वकील श्रीवज महारज की उपस्थिति में इरु वाद में आज तारीख 16.12.21 को  
 मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर  
 आदेश दिया जाता है कि

राही गाँवा चड 6 NTR के खाता सं० 8/122 के मु० न०  
 17, 18, 29 की कुल 1.582 है० व चड 9 NTR के खाता सं० 5/77  
 के मु० न० 33, 34, 46, 47, 48 की कुल 3.605 है० वाद भूमि राजस्व  
 रिजॉर्ड में प्रतिवादी सं० आदराम के नाग राजस्व रिजॉर्ड में दर्ज है में  
 नन्दा प्रतिवादी सं० की धजाय वादी गोविन्द सिंह ह्या प्रतिवादी सं०  
 आदराम व प्रति० सं० 2 भूराज के लुखा वसिमा धाठर के खातेवा  
 उरहउर धाठर डिपे जाते व चूडि प्रति० सं० 3 ने अपना हउ दित्ता  
 वादी ह्या प्रति० सं० 1-2 के पत्र में हई उर धून उर सिपह हल्लि  
 धाग डिपे दित्त पर निपमानुसार पंजीम शुल्क व हृषि भूमि  
 ठेउ रखे है हो रखे मुळ हने वा उपरोक्तनुसा राजस्व  
 रिजॉर्ड में अंउम उर रिजॉर्ड उरुतर डिपे जावे। राजीनामा  
 ओ डी डी फा भणपण जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिग्री आज दिनांक 16.12.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
 (शकुंतला चौधरी)  
 R.A.S.  
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 भादरा जिला हनुमानगढ़